पत्र संख्या–11/आ0नी0–III–03/2018 सा0प्र0 2594

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

पटना–15, दिनांक– 25.02.19

विषय :– **सर्वे खतियान में त्रुटिवश धानुक जाति को कुर्मी जाति में अंकित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहरसा जिला के धानुक जाति के कई व्यक्तियों के द्वारा एक अभ्यावेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई है कि सहरसा जिलान्तर्गत धानुक जाति के कतिपय व्यक्तियों के भू–अभिलेख में धानुक जाति के स्थान पर कुर्मी अंकित हो जाने के कारण एक बहुत बड़ी संख्या, जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का लाभ प्राप्त करते हुए सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं तथा बहुत सारे लोग, जो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, को सेवा एवं पद से हटाया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि पूराने सर्वे में इनके भू–अभिलेख (खतियान) में धानुक जाति अंकित है, जबकि उसी व्यक्ति का बाद के सर्वे खतियान में कुर्मी जाति अंकित कर दिया गया है।

अभ्यावेदन के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से इस संबंध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरान्त धानुक जाति के प्रतिनिधि सदस्यों के साथ बैठक आहूत की गई एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों से अवगत कराया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं धानुक जाति के प्रतिनिधियों से हुई वार्त्ता के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 की कंडिका–9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में धानुक जाति के सदस्यों को जाँचोपरान्त जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।

(ii) सहरसा जिलान्तर्गत धानुक जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के क्रम में इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि यदि पूराने सर्वे (सी0एस0 खतियान) में किसी व्यक्ति के भू–अभिलेख में धानुक जाति अंकित हो एवं बाद के भू–अभिलेख में कुर्मी जाति अंकित हो गया हो, तो उन्हें अथवा उनके दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी तथा उनकी अगली पीढ़ी के वंशज को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए पूराने भू–अभिलेख को आधार बनाया जाय।

(iii) विभागीय परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 के कंडिका–9.1 में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर तथा यथासमय यथास्थिति जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/ABHIJEET SHYAM – HINDI LETTER

ज्ञापांक–11/आ0नी0–III–03/2018 सा0प्र0 3220 पटना–15, दिनांक– 8-3-19

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि आपके जिले से संबंधित यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वज की खतियान में धानुक जाति अंकित हो तथा बाद के अभिलेखों में त्रुटिवश कुर्मी जाति अंकित हो गया हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को सहरसा जिला के अनुरूप पूर्वज के अभिलेखों के आधार पर धानुक जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

8/3/19

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-O/ABHIMEET SHYAM – HINDI LETTER